वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष-2021

CSERC
छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

CSERC

छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021

विषय–सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक		पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	:	1–5
2.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	:	6–8
3.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	9–11
4.	राज्य सलाहकार समिति	:	12–13
5.	वर्ष 2021 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	:	14–22
	परिशिष्ट–1 एवं 2	:	23–30

खण्ड–1
प्रस्तावना

1.1 मिशन स्टेटमेंट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 'दी इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन्स एक्ट, 1998 (सन् 1998 का अधिनियम क्रमांक 14)' के अधीन किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने के पश्चात्, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए दो सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन उक्त अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया। आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं में सौंपे गये कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राष्ट्रीय विद्युत नीति के दिशानिर्देश एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करता है। आयोग के मुख्य उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना सम्मिलित है कि राज्य में पॉवर सेक्टर का विकास वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ–साथ जन–साधारण तक बिजली की पहुंच यथोचित दर पर हो सके। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार के ऐसे कार्यक्रम लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है, जिससे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को वाजिब दरों पर आपूर्ति एवं आवश्यक उपभोक्ता सेवायें प्राप्त हो सके। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में आयोग पूर्णतः सजग है और सर्व संबंधितों के हित संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है और इस हेतु राज्य में ऐसे परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश के ताप–विद्युत, जल–विद्युत, विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन सुनिश्चित हो सके। आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 में उपबंधित किया गया है कि राज्य आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप तथा ऐसे समय जो विहित किया जावे, पिछले वर्ष की अपनी गतिविधियों के सारांश के साथ, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रतियां राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में, आयोग द्वारा तैयार कर, राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। तदनुसार प्रमाणित वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखा जाता हैं। इस प्रतिवेदन में, आयोग के वर्ष 2021 के कार्यों का संक्षिप्त विवरण, समाहित किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये, विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2021 में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2021) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.2 आयोग की स्थापना

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002 दिनाँक 23/08/2002 सहपठित, अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के तहत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में 01 जुलाई 2004 से कार्यरत् है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 14697, 13451 सन् 2015 स्टेट ऑफ गुजरात एण्ड अदर्स वर्सेस यूटिलिटि यूजर्स वेलफेयर एसोसियेशन एवं अन्य में प्रतिपादित व्यवस्था के अन्तर्गत जारी निर्देश में विद्युत नियामक आयोग में सदस्य ज्युडिशियल की नियुक्ति को बन्धकारी एवं अनिवार्य किया गया। तदानुसार राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक 1825/एफ 1–2/2018/13/1/ऊ.वि. दिनांक 30/06/2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान में आयोग में कार्यरत् अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत हैः–

क्र.	नाम	पद नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री हेमन्त वर्मा	अध्यक्ष	1325/एफ–7/33/CSERC/2020/13/1 दिनांक 26/06/2021
3.	श्री विनोद देशमुख	सदस्य (न्यायिक)	एफ–1–7/2007/13/1 दिनांक 17/09/2018
2.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	सदस्य	1327/एफ–7/33/CSERC/2020/13/1 दिनांक 26/06/2021

वर्तमान अध्यक्ष श्री हेमन्त वर्मा एवं सदस्य (न्यायिक) श्री विनोद देशमुख तथा सदस्य श्री प्रमोद कुमार गुप्ता का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

श्री हेमन्त वर्मा, अध्यक्ष

इंजी. हेमन्त वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 03.07.2021 को पद भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे दिल्ली की एक विद्युत वितरण कम्पनी में अतिरिक्त उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे। उन्हे विद्युत क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का 32 वर्षों से भी अधिक अवधि का दीर्घ अनुभव है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार), राज्य शासन के संगठन जैसे दिल्ली विद्युत बोर्ड और निजी क्षेत्र जैसे बी.एस.ई.एस. राजधानी पॉवर लिमिटेड (दिल्ली विद्युत बोर्ड की उत्तरावर्ती कम्पनी) इत्यादि में कार्य का अनुभव सम्मिलित है। इन पद स्थापनाओं के दौरान उन्होने (1) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं नियोजन (2) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी (3) टैरिफ/राजस्व और मांग आधारित प्रबंधन (4) पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) (5) ऊर्जा संरक्षण एवं अंकेक्षण (बी.ई.ई. प्रमाणित) आदि का गहन अनुभव प्राप्त किया। उन्होने

महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे विद्युत संचारण एवं संधारण, वाणिज्यिक क्रय, पारेषण, वितरण, नियोजन और कमीशनिंग, डिज़ाईन और ताप विद्युत सयंत्रों के आक्सीलरी तंत्र की विस्तृत अभियांत्रिकी में भी अपनी सेवाएं दी।

इंजी. हेमन्त वर्मा ने एन.आई.टी. रायपुर से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. और आईआईटी दिल्ली से ऊर्जा अध्ययन में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होने वित्तीय प्रबंधन में एमबीए की उपाधि भी प्राप्त की है। उनकी ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और ऊर्जा संरक्षण हेतु अवसर की खोज ने उन्हें ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षक बनने हेतु प्रोत्साहित किया। जिज्ञासु शिक्षार्थी होने के अतिरिक्त वे एक अच्छे वक्ता भी हैं और उन्हे राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न फोरमों जैसे बीईई, एफआईसीसीआई, टैरी और डीओपी में मांग आधारित प्रबंधन, पीएटी, पारेषण एवं वितरण हानि में कमी तथा ऊर्जा की बचत, वितरण कम्पनियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण और वितरण कम्पनियों की ऊर्जा अंकेक्षण की कार्यप्रणाली आदि विषयों पर प्रस्तुति हेतु अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। उन्हे बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड द्वारा उनके सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी लाने हेतु दिए गये अमूल्य योगदान के लिए उन्हे सुपर एचीव्हर के रूप में मान्यता दी गई और ''सिम्पली द बेस्ट–बेस्ट बिजनेस'' अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होने टोक्यो में जापान सरकार के ऊर्जा संरक्षण केन्द्र द्वारा सन 2017 में आयोजित किये गये ''ऊर्जा संरक्षण'' कार्यशाला में भारत की वितरण कम्पनियों का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होने उच्चदाब विद्युत लाईनों, ग्रिड उपकेन्द्रों और निम्नदाब लाईनों में हुकिंग के द्वारा की जाने वाली विद्युत की चोरी सहित विद्युत नेटवर्क की देखरेख का कार्य करने के लिए ड्रोन का उपयोग प्रारंभ किया। उन्होने सन 2020 में विश्व के सबसे बडे अस्थाई कोविड–19 सुविधा केन्द्र (सरदार पटेल कोविड उपचार केन्द्र) के सम्पूर्ण विद्युतीकरण के कार्य (23मेगावॉट भार) को 15 दिनों के रिकार्ड समय में पूरा करने वाली टीम का नेतृत्व किया था। उन्होने कोविड–19 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा फोटो मीटर रीडिंग, ई–बिलिंग, और ई–भुगतान, वर्चुअल आर.डब्ल्यू.ए. मीटिंग और बिलिंग विवादों के निटपारे हेतु लोक अदालत लगाना आदि प्रारंभ किया। उन्होने 2800 रूफटॉप सौर कनेक्शनों को (90 मेगावॉट से अधिक कनेक्टेड सौर भार) को नेट मीटरिंग के साथ ऊर्जीकृत करवाया। उन्होने सेवा के क्षेत्रों में लोड शेडिंग को 0.03 प्रतिशत स्तर तक कम करने, राष्ट्रमण्डल खेलों (2010), विश्व व्यापार मेला (2015) और भारत न्यूजीलैंड 2020 मैच इत्यादि सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने आदि कार्यो की पहल की। जुलाई 2019 में जब दिल्ली ने अब तक के सबसे अधिक उच्चतम पॉवर मॉग 7409 मेगावॉट का रिकार्ड बनाया, तब उनकी टीम ने इस मॉग को भार का सटीक अनुमान, नेटवर्क योजना, प्रणाली का उन्नयन, मॉग आधारित प्रबंधन (जैसे पुराने एयर कण्डिशनर का बीईई–5 तारांकित एयर कण्डिशनर में परिवर्तन की योजना) और उपभोक्ताओं से मॉग संबंधी जानकारी लेना आदि के माध्यम से पूरा करने

की पहल की। टेक्नोक्रेट होने के अलावा उन्हे साहित्य, संगीत और भ्रमण में भी गहरी रूचि है।

श्री विनोद देशमुख, सदस्य (न्यायिक)

श्री विनोद देशमुख, का जन्म 07 मार्च 1961 को रायपुर शहर में हुआ है और उन्होने अपनी सम्पूर्ण शिक्षा रायपुर में प्राप्त की हैं। उन्होने बी.कॉम., एल.एल.बी. की डिग्री पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त करने के उपरान्त वर्ष 1987 से अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए रायपुर जिला अदालत एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी वकालत की है। इस दौरान उनके द्वारा कई संस्थानों की पैरवी भी की गई। श्री देशमुख दिनांक 18 सितम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (न्यायिक) के पद पर पदस्थ हैं।

श्री प्रमोद कुमार गप्ता, सदस्य

श्री गुप्ता ने एच.बी.टी.आई., कानपुर से वर्ष 1979 में बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त की। श्री गुप्ता की प्रथम नियुक्ति मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में वर्ष 1980 में सहायक अभियंता प्रशिक्षु के पद पर हुई तथा वर्ष 2000 तक म.प्र.वि. मण्डल में पॉवर ट्रान्समिशन संबंधी कार्यों मे अपना योगदान दिया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल / छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांन्समीशन कम्पनी में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. और 132 के.व्ही. के उपकेन्द्रों व ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन किया। श्री गुप्ता वर्ष 2017 में मुख्य अभियंता व वर्ष 2020 में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदस्थ हुए। श्री गुप्ता द्वारा मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक निदेशक के पद पर रहतें हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में अतिउच्च दाब ट्रान्समिशन लाईन एवं उप केन्द्रों के निर्माण कार्य तथा अतिउच्च दाब लाईनों के संधारण एवं प्रदेश की ट्रांसमिशन प्रणाली विस्तार के कार्यों को नये आयाम तक पहुँचाया। 41 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी से जून 2021 में कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। 3 जुलाई 2021 से श्री गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग का कार्यालय सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर में स्थित है। कार्यालय भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के कार्यालय को भवन ऊर्जा दक्ष एवं सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी के आधार पर डिज़ाईन किया गया है। ऊर्जा दक्षता का अनुसारण करते हुए 80 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट सहित निर्मित आयोग के मुख्यालय भवन को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से पांच सितारा रेटेड भवन घोषित किया जा चुका है।

1.4 आयोग की वेबसाईट

आयोग की अपनी वेबसाईट (www.cserc.gov.in) है, जिसका आयोग के सूचना प्रौद्यिगिकी विभाग द्वारा नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाईट का प्रयोग अनुसूचित सुनवाई की सूचना देने, समाचार, अद्यतन सूचना, अवधारणा पत्रों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने, विनियमों, याचिकाओं और अधिसूचित विनियमों को अपलोड करने, आयोग के आदेश आदि के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण, फोरमों और लोकपाल पर उपभोक्ताओं को जानकारी भी प्रदान करता है और मार्गदर्शन करता है।

————00000————

खण्ड–2
आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

2.1 आयोग के कृत्य –

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) में आयोग के कृत्य निम्नानुसार परिभाषित है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।

(v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतो से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।

(vi) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच के परस्पर विवादों का निराकरण करना और किसी विवाद को माध्यस्थ्म के लिये निर्दिष्ट करना।

(vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।

(viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।

(ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अंतर्गत, आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता हैः–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

2.2 आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। विद्युत अधिनियम, 2003 में आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के लिए विनियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदानुसार आयोग द्वारा बनाये गये ''कार्य संचालन विनियम 2009'' में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप से परिभाषित है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निराकरण करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है।
- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।

- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

2.3 आयोग की शक्तियाँ

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

2.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 95 के अनुसार आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

———00000———

खण्ड–3
मानव संसाधन एवं उनका विकास

3.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में आयोग हेतु कुल 68 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी, 33 तृतीय श्रेणी एवं 12 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। 31.12.2021 की स्थिति में स्वीकृत पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
	आयोग सचिवालय				
1.	सचिव	लेवल–17	1	01	–
2.	उप सचिव	लेवल–14	1	–	01
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	लेवल–13	1	–	01
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	लेवल–12	1	01	–
5.	अनुभाग अधिकारी	लेवल–10	1	–	01
	इंजीनियरिंग विभाग				
6.	निदेशक	लेवल–17	1	01	–
7.	संयुक्त निदेशक	लेवल–14	1	–	01
8.	उप निदेशक	लेवल–13	2	–	02
9.	सहायक संचालक	लेवल–12	2	01	01
	टैरिफ विभाग				
10.	निदेशक	लेवल–17	1	01	–
11.	संयुक्त निदेशक	लेवल–14	1	–	01
12.	उप निदेशक	लेवल–13	1	–	01
13.	सहायक संचालक	लेवल–12	1	–	01
	वित्त विभाग				
14.	आर्थिक सलाहकार	लेवल–15	1	01	–
15.	आर्थिक विश्लेषक	लेवल–14	1	–	01
	विधि विभाग				
16.	निदेशक	लेवल–17	1	01	–
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	लेवल–14	1	–	01
18.	विधि अधिकारी	लेवल–13	1	–	01
	प्रशासकीय विभाग				
19.	लेखाधिकारी	लेवल–12	1	01	–
20.	निज सचिव	लेवल–10	2	01	01
21.	निज सहायक	लेवल–9	5	03	02
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	लेवल–9	2	01	01
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	लेवल–8	1	01	–

24.	स्टेनोग्रफर	लेवल–7	5	–	05
25.	कम्प्यूटर सहायक	लेवल–6	3	–	03
26.	सहायक ग्रेड–2	लेवल–6	4	03	01
27.	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल–4	4	–	04
28.	सहायक ग्रेड–3	लेवल–4	5	02	03
29.	वाहन चालक	लेवल–4	4	03	01
30.	भृत्य	लेवल–1	11	08	03
31	माली	लेवल–1	1	–	01
	योग		**68**	**30**	**38**

3.2 आयोग में वर्ष 2021 में सेवारत् अधिकारी एवं कर्मचारीः–

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2021 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारिी सेवारत रहेः–

क्रमाँक	नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनाँक
1.	श्री एस.पी. शुक्ला	सचिव	21.10.2004
2.	श्री विवेक गनोदवाले	निदेशक (विधि)	10.12.2004
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह	निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
4.	श्री कमलेश कुमार दिल्लीवार	निदेशक (इंजीनियरिंग)	11.08.2010
5.	श्री सुरोबिन राय	आर्थिक सलाहकार	06.10.2009
6.	श्री अमल गुहा	स्टॉफ अफिसर	31.12.2005
7.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे	सहायक निदेशक(इंजीनियरिंग)	01.04.2017 प्रतिनियुक्ति पर
8.	श्री पी. वेणु गोपाल	लेखाधिकारी	02.09.2010
9.	श्री इंद्रेश गुप्ता	सहा. निदेशक (सू.प्रौ. एवं रिम्स)	13.01.2006
10.	श्री नीरज कुमार वर्मा	सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	16.01.2006
11.	श्री ए.वल्ला नायडू	निज सहायक	16.10.2008
12.	कु. जयंती मंडावी	निज सहायक	03.11.2008
13.	श्री विजेन्द्र चंद्राकर	निज सहायक	31.10.2011
14.	श्री अशोक कुमार मंडल	कनिष्ठ लेखाधिकारी	03.01.2007
15.	श्री महेश कुमार टेम्भूर्णे	का.सा. श्रेणी–2	09.02.2007
16.	श्री मनोज कुमार लहरे	का.सा. श्रेणी–2	01.04.2011
17.	श्री देवेनगिरि गोस्वामी	का.सा. श्रेणी–2	06.04.2011
18.	श्री दीपक शुक्ला	का.सा. श्रेणी–3	01.01.2009
19.	श्री रितेश यादव	का.सा. श्रेणी–3	01.01.2009

3.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन कार्यक्रमः–

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2021 में भी आयोग के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम – आवश्यकतानुरूप अभिवृद्वि हो सके।

<u>विवरण</u>

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन कार्यक्रम का नाम / विषय	प्रशिक्षण / कार्यशाला / कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्रीमति अनुराधा खरे, विद्युत लोकपाल	प्रोटेक्शन ऑफ कंस्यूमर इंटरेस्ट	फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स (FOR)	4 दिवस (16 फरवरी से 19 फरवरी 2021 तक)
2.	श्री कमलेश दिल्लीवार, निदेशक (इंजी.)	पॉवर सेक्टर रेग्यूलेशन	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर (IIT)	(03 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य)
3.	श्री सिद्धार्थ पाण्डे सहायक निदेशक (इंजी.)	19^थ कोर कोर्स	साउथ एशिया फोरम ऑफ इन्फ्रास्ट्रचर रेग्यूलेशन (SAFIR)	4 दिवस (27, 28 एवं 30 मार्च 2021)
4.	श्री सुरोबिन रॉय आर्थिक सलाहकार	थ्री व्हीक ऑनलाईन केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	3 सप्ताह (04 जनवरी से 22 जनवरी 2021 तक)
5.	श्री आशा व्ही देव उप सचिव	थ्री व्हीक ऑनलाईन केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	फोरम ऑफ इंडियन रेग्यूलेटर्स (FOIR)	3 सप्ताह (04 जनवरी से 22 जनवरी 2021 तक)
6.	श्री सुरोबिन रॉय आर्थिक सलाहकार	वेबिनार–इलेक्ट्रिसिटी इनफॉरमेशन एक्सेस एण्ड एनालिटिक प्लेटफॉर्म (रेग्यूलेटरी टूल्स)	फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स (FOR)	30 अक्टूबर 2021
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह निदेशक (टैरिफ)	5^थ एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटि मीट 2021	इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (ISGR)	18 एवं 19 नवम्बर 2021

खण्ड–4
राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। तदानुसार गठित राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श देती है:–

(1) मुख्य नीतिगत विषयों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

आयोग द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की संगत धाराओं के पालन में वर्तमान में 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति में राज्य शासन सहित वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर–सरकारी संगठनों और विद्युत सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के 15 प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं।

आयोग के अध्यक्ष उक्त समिति के पदेन अध्यक्ष है और आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

राज्य सलाहकार समिति के वर्तमान सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिनिधित्व
1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर।	विशेष आमंत्रित
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर।	पदेन सदस्य
3.	प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., डंगनियां, रायपुर।	अनुज्ञप्तिधारी
4.	निदेशक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर।	अनुसंधान निकाय
5.	मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर (सी.ई.डी.ई.), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, विद्युत विभाग, बिलासपुर।	परिवहन
6.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर।	उपभोक्ता
7.	उपाध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई.), छत्तीसगढ़ चैप्टर रायपुर, अवंती विहार, रायपुर।	उद्योग
8.	महा सचिव, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायपुर ।	उद्योग

9.	राष्ट्रीय सचिव, लघु उद्योग भारती, गली नं. 2, शिव मंदिर के पास, फाफाडीह, रायपुर।	उद्योग
10.	श्री धीरज कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, जय प्रकाश मेमोरियल सेन्टर, 361, वर्ड नंबर–4, बस्तर डिविजन, किरंदुल।	गैर सरकारी संगठन
11.	श्री डी.पी. शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल, 183, हरसिंगार, राजकिशोर नगर, बिलासपुर–494 556	उपभोक्ता
12.	डा. संदीप शर्मा, अध्यक्ष, समर्पित, 37 गितांजली एन्क्लेव, रिंग रोड, नं.–2, बिलासपुर।	गैर सरकारी संगठन
13.	श्री संतोष तिवारी, बस्तर किसान कल्याण संघ, मोती तालाब पारा, जगदलपुर।	कृषक
14.	डा. एन.डी. लोन्धे, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान, जी.ई. रोड, रायपुर।	शैक्षणिक निकाय
15.	श्री हितेश वारू, सदस्य, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, पीली बिल्डिंग के सामने ममता पोहा मील, रमन मन्दिर वार्ड, कुम्हार पारा, फाफाडीह, रायपुर।	कृषक
16.	श्री सरोज महापात्रा, सदस्य ''प्रदान'', ई–2/28, द्वितीय तल, गुरू घासीदास कॉलोनी, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर।	गैर सरकारी संगठन
17.	श्री अमित वर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सदस्य, ग्रहक पंचायत, एच.आई.जी.–61, सेक्टर–1, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)	उपभोक्ता
18.	श्री विक्रम सिंह पैकरा, ग्राम–सम्बलपुर (चंददौडी डांडपारा) पोस्ट–सिलफिली, थाना–जयनगर, तह. एवं जिला–सुरजपुर (छ.ग.)	कृषक

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकः–

वर्ष 2021 में राज्य सलाहकार समिति की 34वीं बैठक दिनांक 22/02/2021 को विडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर एवं स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतिम ट्रूअप एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनंतिम ट्रू–अप एवं विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत दरों के निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर चर्चा हुई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के प्रारूप पर भी यथासमय सलाहकार समिति के सदस्यों से विचार प्राप्त किए गए।

–––000–––

खण्ड–5
वर्ष 2021 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का प्रकाशन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को सुसंगत विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(3) के अनुपालन में विनियम बनाने के पूर्व प्रारूप विनियमों को प्रकाशित कर संबंधित पक्षकारों से सुझाव व आपत्तियाँ आमंत्रित करना आवश्यक है। तदानुसार प्राप्त सुझावों, आपत्तियों पर सारगर्भित विचारोपरान्त आयोग द्वारा विनियम अधिसूचित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार आयोग, अपने स्थापना वर्ष 2004 से निरंतर विनियम के प्रकाशन की कार्रवाई कर रहा है। दिनाँक 31.12.2021 की स्थिति में प्रचलित/प्रभावशील विनियमों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) वर्ष 2021 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005	14.07.2006
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008

9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन–प्रथम संशोधन) विनियम 2013	10.01.2014
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010
13.	सी.एस.ई.आर.सी. (टर्म्स एण्ड कॅन्डिशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ एकॉर्डिंग टू मल्टी–ईयर टैरिफ प्रिंसिपल) रेग्युलेशन, 2010	09.01.2010
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011	04.03.2011
15.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियमाक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन–विनियम, 2012	17.12.2012
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011	04.03.2011
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	21.05.2013
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम, 2011	01.06.2011
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011	04.03.2011
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	28.11.2011
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	01.01.2014
22.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन), 2018	06.04.2018
23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011	30.12.2011
24.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.	27.06.2012
25.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.	14.03.2013
26.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016	21.03.2016

27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012	06.10.2012
28.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012	29.12.2012
29.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013	15.02.2013
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2013	18.09.2013
31.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	07.10.2013
32.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016	16.06.2017
33.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015	09.09.2015
34.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्ते) प्रथम संशोधन विनियम 2016	16.06.2017
35.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016	01.09.2016
36.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2016	16.06.2017
37.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्ते तथा संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2016	27.06.2016
38.	CSERC (Intra-state Availability Based Tariff and Deviation Settlement Mechanism) Regulations, 2016	07.11.2016
39.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2016	01.12.2016
40.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019	05.10.2019

41.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019.	30.12.2019
42.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	09.01.2020
43.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020	27.05.2020
44.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	14.07.2020
45.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	24.07.2020
46.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020	06.11.2020

(2) वर्ष 2021 में अधिसूचित विनियमः—

क्र.	**विनियम/संहिता का नाम**	**राजपत्र में प्रकाशन की तिथि**
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021	11.11.2021
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021 कहलायेंगे।	11.11.2021
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021	18.11.2021
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021	27.12.2021

5.2 आयोग द्वारा वर्ष 2021 में अधिसूचित विनियमों में किये गये मुख्य प्रावधानः—

1. आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम 2021, दिनांक 11.11.2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारीयों, सुगम्यता उपभोक्ताओं और केप्टिव

उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व निर्दिष्ट किया गया है। इस विनियम में प्रथम बार जल विद्युत क्रय दायित्व (एच.पी.ओ.) भी निर्दिष्ट किया गया है।

2. आयोग द्वारा बनाये गये ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021'', अधिनियम की धारा–62 के अधीन टैरिफ एवं धारा 32(3) के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 से वित्तीय वर्ष 2024–2025 तक की अवधि में लागू रहेंगे और आगे भी, तब तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को संशोधित अथवा नये विनियमों द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता।

3. आयोग ने सौर ऊर्जा संयंत्रो के लिए बैंकिंग और सुगम्यता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम 2019 में प्रथम संशोधन जारी किया।

5.3 वर्ष 2021 में आयोग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कम्पनी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दायर टैरिफ याचिका क्रमांक 03/2021, 04/2021, 05/2021 एवं 09/2021 में दिनांक 02.08.2021 को आदेश पारित किया गया जिसमे वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है। (छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कं.लि. के उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित टैरिफ परिशिष्ट–1(क) एवं (ख) में दर्शित है)}{

2. डी बी पॉवर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 32/2020 में जांजगीर, चंपा स्थित 1200 मेगावाट (2x600 मेगावाट) क्षमता के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।

3. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 60/2020 में कोरबा स्थित 1200 मेगावाट (4 x 300 मेगावाट) क्षमता के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की परिवर्तनीय लागत (ऊर्जा शुल्क दर) का निर्धारण किया गया है।

4. आयोग ने स्वप्रेरित याचिका क्र. 43/2021, आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारीयों द्वारा विद्युत क्रय हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों के लिए मूल पूर्वता (जेनरिक प्रिफ्रेंशियल) टैरिफ निर्धारित किया हैः–

   क) लघु/अतिलघु जलीय विद्युत परियोजनाएं (2 मे.वा. तक)

   ख) छोटी जल विद्युत परियोजनाएं (5 मे.वा. से कम)

   ग) छोटी जल विद्युत परियोजनाएं (5 मे.वा. से 10 मे.वा.)

घ) छोटी जल विद्युत परियोजनाएं (10 मे.वा. से 25 मे.वा.)

च) गैर जीवाश्म आधारित (अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोंतों पर आधारित) सह–उत्पादन परियोजनाएं

आयोग ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की आपूर्ति करने वाले स्थापित बॉयोमास विद्युत संयंत्रों के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए विद्युत प्रभारों को निर्धारित किया है।

5. आयोग ने स्वप्रेरित याचिका क्र. 29/2021 पर आदेश दिनांक 30.10.2021 पारित किया है। इस आदेश में 500 कि.वा. से 02 मे.वा. विद्युत क्षमता वाले विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों, जो केन्द्र शासन द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना के कम्पोनेंट–ए के तहत् स्थापित किये जायेंगे, से विद्युत विक्रय हेतु टैरिफ का निर्धारण किया गया है। केन्द्र शासन की पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–सी के तहत् सौरकृत कृषि पंपों से अतिरिक्त विद्युत क्रय के लिए दर का भी निर्धारण इस आदेश में किया गया है।

5.4 वर्ष 2021–22 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए जारी टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु :–

- वर्तमान में लागू सिंगल फेज के उपभोक्ताओं हेतु संबद्ध भार की सीमा को 3 किलोवॉट से बढ़ाकर 5 किलोवॉट किया गया है।
- नियत प्रभार (fixed charge) खपत के आधार पर लिया जाता था जिसे परिवर्तित कर अब कनेक्टेट लोड के आधार पर लिया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे गौठानों को घरेलू उपभोक्तओं की विद्युत प्रदाय श्रेणी में रखा गया है।
- गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार वर्तमान में प्रभावशील 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में जारी छूट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत की गई है।
- गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में लागू सिंगल फेज हेतु संबद्ध भार की सीमा को 3 किलोवॉट से बढ़ाकर 5 किलोवॉट किया गया है।
- मशरूम उत्पादकों हेतु प्रभावी विद्युत श्रेणी को युक्तिसंगत करते हुए एच.व्ही. –3(अन्य उद्योग एवं सामान्य प्रयोजन) के स्थान पर एच.व्ही.–5 (एग्रीकल्चर एलाईड) में सम्मिलित कर राहत प्रदान की गई है।
- उच्च दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिलों को प्रचलित ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

- 33 के.वी. तक के उच्च दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले स्वतंत्र लघु ऑक्सिजन संयंत्र को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
- निर्यात उन्मुख कपड़ा संयंत्र (Textile) के विद्युत दरों में कमी की गई है।

5.5 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

वर्ष 2021 में आयोग ने कुल 75 मामले पंजीबद्ध किये, जिसमें से आयोग ने स्वयं संज्ञान लेकर 16 मामले पंजीबद्ध किये हैं तथा विभिन्न पक्षकारों ने विभिन्न मामलों के कुल 59 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये। उक्त 75 प्रकरणों में से 53 का निपटारा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में किया गया। 01.01.2021 को, पूर्व वर्षो के 109 प्रकरण लंबित थे, जिसमें से 86 प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2021 में किया गया। इस तरह वर्ष 2021 में कुल 139 प्रकरणों का निराकरण किया गया हैं।

उपरोक्त विवरण निम्नांकित सारणी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

याचिकाओं का निराकरण			
01.01.2021 की स्थिति में विचाराधीन याचिका	**वर्ष 2021 के अंत तक पंजीकृत याचिका**	**वर्ष 2021 में कुल निराकृत**	**01.01.2022 की स्थिति में विचाराधीन**
109	75	139	45

5.6 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापनाः–

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के प्रावधानानुसार राज्य में, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की गई है, वर्ष 2021 में उपभोक्ता शिकायतों के 47 प्रकरण रायपुर, 78 प्रकरण बिलासपुर फोरम एवं 8 प्रकरण जगदलपुर फोरम में दर्ज किये गये तथा 41 प्रकरण रायपुर, 81 प्रकरण बिलासपुर एवं 5 प्रकरण जगदलपुर फोरम में निराकृत किये गये, जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परन्तु इस वर्ष विचाराधीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई एवं जिदंल औद्योगिक पार्क में कार्यरत् वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा एक–एक शिकायत निवारण फोरम स्थापित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुपालन में आयोग द्वारा विद्युत लोकपाल को नियुक्त किया गया है। फोरम के आदेश से असंतुष्ट विद्युत उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। वर्ष 2021 के प्रारंभ में कुल 10 प्रकरण विचाराधीन थे। वर्ष अंत तक विद्युत लोकपाल कार्यालय में कुल 26 प्रकरण संस्थित किये गये। विद्युत लोकपाल द्वारा वर्ष 2021 में कुल 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें पूर्व के वर्षों में पंजीकृत प्रकरण भी सम्मिलित है। दिनांक 01/01/2022 की स्थिति में केवल 11 प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन है।

5.7 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2021 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्थिति–

1	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	**01**
2	वर्ष 2020 में प्राप्त आवेदनों की संख्या	**14**
	योग	**15**
3	स्वीकृत एवं निराकृत आवेदनों की संख्या	**13**
4	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	**00**
5	निर्णय हेतु विचाराधीन	**02**

5.8 कोविड–19 संक्रमण अवधि में आयोग द्वारा किये गये कार्य

1. **पिटीशन इ–फाइलिंग की सुविधाः** कोविड–19 संक्रमण के दौरान आयोग द्वारा जून 2020 में आयोग में याचिकाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु ''पिटीशन इ–फाइलिंग'' पोर्टल की सुविधा प्रारंभ की गई। उक्त पोर्टल पर कोई भी अधिवक्ता, संस्था अथवा व्यक्ति पंजीयन करने के उपरांत आयोग के समक्ष ऑनलाईन याचिका प्रस्तुत कर सकता है एवं प्रस्तुत याचिका की कोर्ट प्रोसेडिंग एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।

   गवर्नेस नाउ – ''श्री अधिकारी ब्रदर्स इंटरप्राइजेस'' द्वारा दिनांक 18/11/2021 को आयोजित 4थ डिजीटल ट्रांसफारमेंशन सबमिट एण्ड अवार्ड का आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा संचालित पिटीशन इ–फाइलिंग पोर्टल को डिजीटल ट्रांसफारमेंशन इन डिजीटल जी2सी सर्विसेस हेतु अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड समारोह वर्चुअली आयोजित किया गया था जिसमें आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा द्वारा यह अवार्ड ग्रहण किया गया। इस अवसर पर नेशनल इनफारमेटिक सेंटर के महानिदेशक डॉ. नीता वर्मा, स्पीकर थी।

2. कोविड–19 महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोग के समक्ष प्रस्तुत सभी याचिकाओं पर मई–2020 से निरंतर ऑनलाई सुनवाई की जा रही है।

5.9 लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011

लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31. 12.2021 तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः आवेदन के निराकरण का प्रश्न उदभुत नहीं होता है।

5.10 आयोग द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य

1. आयोग द्वारा वर्ष 2020 में सेन्टर फॉर एनर्जी रेग्युलेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से एक एम.ओ.यू. किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर केन्द्रीय विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स के साथ कई वर्षों से संबद्ध है और विनियामक अनुसंधान के लिए समर्पित है। उक्त एम.ओ.यू. के

तहत् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर महत्वपूर्ण विषय पर आयोग को अपने सूझाव देता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा इस तरह के एम.ओ.यू. अन्य राज्य विद्युत नियामक आयोग से भी किये गये हैं। आई.आई.टी. कानपुर द्वारा अपने वेब पोर्टल पर एक मॉड्युल विकसित किया गया है, जिसमे सभी राज्य आयोग के मुख्य विनियम, महत्वपूर्ण आदेश एवं अन्य डाटा अपलोड किये जाते हैं, जिससे राज्य आयोग को एकजाई जानकारी प्राप्त होती है। उक्त पोर्टल आयोग को विद्युत क्षेत्र की नवीन उपलब्धियों से अवगत कराता है।

2. आयोग कार्यालय में दिनांक 29.09.2021 को लाइन लॉस के मॉनिटरिंग एवं लॉस रिडक्शन विषय पर आयोग के अधिकारियों एवं छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्नानुसार विस्तृत कार्ययोजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आयोग के मान. अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गयाः—

- विभिन्न मैदानी एवं वन्य क्षेत्रों के अनुरूप लाइन लॉस को कम करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना।
- लाइन लॉस के मॉनिटरिंग हेतु एक डेडिकेटेड लॉस रिडक्शन सेल की व्यवस्था।
- मांग आधारित विद्युत के प्रबंधन हेतु एक पृथक सेल की व्यवस्था।

साथ ही आयोग द्वारा मैदानी अमलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित लगातार प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. आयोग कार्यालय में दिनांक 22.12.2021 को ''उपभोक्ता शिकायत निवारण'' विषय पर बैठक आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष मान. श्री हेमन्त वर्मा जी ने की, इस अवसर पर आयोग के सद्स्य (विधि) श्री विनोद देशमुख, सद्स्य श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, विद्युत लोकपाल श्री नुरूद्दीन तिगाला, आयोग के अन्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, भिलाई एवं रायगढ़) के अध्यक्ष एवं सदस्य, एवं विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। उक्त बैठक में आयोग के मान. अध्यक्ष ने कहा की विद्युत उपभोक्ताओं के हित एवं संतुष्टि सबसे पहले है, जिस हेतु उचित कदम उठाए जाए। साथ ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े तथा एक टीम व कर्तव्यपरायणता की भावना से कार्य करें। अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत प्रदाय की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा करे साथ ही सप्ताह में एक दिन उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए दिन निर्धारित करें।

परिशिष्ट–1 (क)

आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित टैरिफ

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">उपभोक्ता श्रेणी</th><th colspan="3">नई दरें (2021–22)</th></tr>
<tr><th></th><th>स्थिर प्रभार</th><th>ऊर्जा दर</th></tr>
<tr><td>LV - 1 घरेलू उपभोक्ता एवं बीपीएल उपभोक्ता</td><td>वर्ग</td><td>वर्ग</td><td>रूपये</td><td>रूपये प्रति यूनिट</td></tr>
<tr><td rowspan="5">LV-1</td><td>0–100</td><td>0–100</td><td rowspan="5">रु. 20/– प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;
रु. 30/– प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. से 10 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;
रु. 40/– प्रति कि.वा. प्रति माह 10 कि.वा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए</td><td>3.60</td></tr>
<tr><td>101–200</td><td>101–200</td><td>3.80</td></tr>
<tr><td>201–400</td><td>201–400</td><td>5.20</td></tr>
<tr><td>401–600</td><td>401–600</td><td>6.20</td></tr>
<tr><td>601 एवं उससे अधिक</td><td>601 एवं उससे अधिक</td><td>7.80</td></tr>
<tr><td>LV - 2 गैर घरेलू उपभोक्ता</td><td>वर्ग</td><td>वर्ग</td><td>मांग प्रभार</td><td>ऊर्जा दर</td></tr>
<tr><td rowspan="3">LV-2.1 गैर घरेलू उपभोक्ता</td><td>0–100</td><td>0–100</td><td rowspan="3">रू. 50 प्रति कि.वा.प्रति माह (5 कि.वा. तक) सिंगल फेस</td><td>5.70</td></tr>
<tr><td>101–400</td><td>101–400</td><td>6.70</td></tr>
<tr><td>401 एवं उससे अधिक</td><td>401 एवं उससे अधिक</td><td>8.10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">LV-2.2 गैर घरेलू उपभोक्ता</td><td>0–400</td><td>0–400</td><td rowspan="2">रू.120 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. तक) थ्री फेस</td><td>6.70</td></tr>
<tr><td>401 एवं उससे अधिक</td><td>401 एवं उससे अधिक</td><td>8.10</td></tr>
<tr><td>मांग आधारित</td><td>मांग आधारित</td><td>रू.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. से अधिक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर</td><td>7.40</td></tr>
<tr><td>LV-3 कृषि उपभोक्ता</td><td>-</td><td>-</td><td>रू.100 प्रति एच.पी. प्रति माह</td><td>4.90</td></tr>
<tr><td>LV - 4 निम्नदाब कृषि संबंधी अन्य कार्य</td><td>वर्ग</td><td>वर्ग</td><td>मांग प्रभार</td><td>ऊर्जा दर</td></tr>
<tr><td>LV-4.1 (अ)कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक</td><td>कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक</td><td>कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. तक</td><td>रू.100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रू.134 प्रति कि. वा. प्रति माह</td><td>4.90</td></tr>
<tr><td>LV-4. 1 (ब)कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक 150 एच.पी. तक</td><td>कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक 150 एच.पी. तक</td><td>कृषि संबंधी अन्य कार्य 25 एच.पी. से अधिक 150 एच.पी. तक</td><td>रू.110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रू.147 प्रति कि. वा. प्रति माह</td><td>5.30</td></tr>
</table>

LV-4.2 कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित	कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित 15 कि.व. से अधिक 112.5 कि.व. तक	कृषि संबंधी अन्य कार्य मांग आधारित 15 कि.व. से अधिक 112.5 कि.व. तक	रू.200 प्रति कि.व. प्रति माह	5.50
LV - 5 निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता	**वर्ग**	**वर्ग**	**मांग प्रभार**	**ऊर्जा दर**
LV-5.1 औद्योगिक उपभोक्ता	**25 एच.पी. तक (आटाचक्की / पावर लूम)**	**25 एच.पी. तक (आटाचक्की / पावर लूम)**	रू. 80 प्रति कि.व. प्रति माह	4.00
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	**25 एच.पी. तक (आटाचक्की / पावर लूम)**	**25 एच.पी. तक (आटाचक्की / पावर लूम)**	रू. 80 प्रति कि.व. प्रति माह	3.60
LV-5.2.1 औद्योगिक उपभोक्ता	**25 एच.पी. तक (अन्य औद्योगिक)**	**25 एच.पी. तक (अन्य औद्योगिक)**	रू. 120 प्रति कि.व. प्रति माह	5.00
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	**25 एच.पी. तक (अन्य औद्योगिक)**	**25 एच.पी. तक (अन्य औद्योगिक)**	रू. 100 प्रति कि.व. प्रति माह	4.00
LV-5.2.2 औद्योगिक उपभोक्ता	**25–150 एच.पी (अन्य औद्योगिक)**	**25–150 एच.पी (अन्य औद्योगिक)**	रू.150 प्रति कि.व. प्रति माह	5.75
बस्तर प्राधिकरण में आने वाले क्षेत्र हेतु	**25–150 एच.पी (अन्य औद्योगिक)**	**25–150 एच.पी (अन्य औद्योगिक)**	रू.130 प्रति कि.व. प्रति माह	5.25
LV-6 सार्वजनिक उपयोग (जल प्रदाय एवं सड़क बत्ती)	-	-	रू.142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रू. 190 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.10
LV-7 सूचना प्रौद्योगिकी	-	**LV-7 सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात आधारित टेक्सटाईल उद्योग**	रू. 150 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.00

परिशिष्ट–1 (ख)

<u>आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित टैरिफ</u>

उपभोक्ता श्रेणी		नई दरें (2021–22)	
		मांग प्रभार (रूपये प्रति केवीए प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति kVAh)
HV-1	**Railway Traction on 132 kV/220 kV**	375	4.40
HV-2	**Mines**		
	220 KV	500	6.60
	132 KV	500	6.75
	33 KV	500	7.00
	11 KV	500	7.30
HV-3	**Other Industry & General Purpose Non-Industrial**		
	220 KV	375	6.30
	132 KV	375	6.45
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.70
	33 KV (Load factor<=15%)	190	6.90
	11 KV (Load factor>15%)	375	7.10
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.30
HV-4	**Steel Industries**		
	220 KV	375	5.40
	132 KV	375	5.55
	33 KV (Load factor>15%)	375	5.95
	33 KV (Load factor<=15%)	190	6.45
	11 KV (Load factor>15%)	375	6.05
	11 KV (Load factor<=15%)	190	6.85
HV-5	**Irrigation, Agriculture, Allied, Activities & Public water Works**	375	5.70
HV-6	**Residential**	375	5.90
HV-7	**Start up Power Tariff**	200	8.20
HV-8	**Industries related to manufacturing of equipment for power generation from renewable energy sources**	130	4.00
HV-9	**Information Technology Industries and export oriented Textile Industries**	150.00	4.10

परिशिष्ट–2

बिजली उपभोक्ता अपने अधिकार पहचाने

छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020

- प्रत्येक उपभोक्ता निरंतर/निर्बाध एवं क्वालिटी बिजली पाने के हकदार हैं। इसे सुनिश्चित करने, मापदंड निर्धारित करने एवं वितरण कंपनी की जवाबदेही तय करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने नियम बनाये है।
- विस्तृत नियम आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in अथवा वितरण कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in पर देखे जा सकतें है।
- इन नियमों में वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं, जैसे नये कनेक्शन, बिल संबंधी शिकायत, मीटर/लाईन/ट्रांसफार्मर में खराबी, सप्लाई की बहाली आदि के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है।
- समस्याओं के निराकरण में विलंब अथवा मापदंडों के पालन न होने पर नियमानुसार उपभोक्ता प्रतिकर/क्षतिपूर्ति का हकदार है।
- उपभोक्ताओं को मुआवजे का दावा संबंधित वितरण केंद्र में करना होगा।
- मुआवजा न मिलने पर संबंधित क्षेत्र के विद्युत फोरम यथा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर में आवेदन कर सकता है।
- **फोरम के आदेश के विरूद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील निःशुल्क की जा सकती है।**

परफार्मेंस के मानक प्राप्त करने में विफलता पर उपभोक्ता को देय प्रतिकर का स्तर

<table>
<tr><th>सेवा का स्वरूप</th><th colspan="2">निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा</th><th>उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता/ उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर</th></tr>
<tr><td>1. सप्लाई की बहाली</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(क) फ्यूज–ऑफ–कॉल</td><td colspan="2">'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में 4 (चार) घंटे
ग्रामीण क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे</td><td rowspan="6">12 घंटे तक ₹5/– प्रति घंटे तथा 12 घंटे से अधिक अवधि हेतु ₹10/– प्रति घंटे</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(ख) लाईन ब्रेक डाऊन</td><td>माइनर ब्रेक डाऊन 6 (छः) घंटे
मेजर ब्रेक डाऊन 24 (चौबीस) घंटे</td><td>'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में</td></tr>
<tr><td>माइनर ब्रेक डाऊन 12 (बारह) घंटे
मेजर ब्रेक डाऊन 2 (दो) दिवस</td><td>ग्रामीण क्षेत्रों में</td></tr>
<tr><td>(ग) वितरण ट्रांसफार्मर फेल्योर</td><td colspan="2">'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे
ग्रामीण क्षेत्रों में 5 (पांच) दिवस</td></tr>
<tr><td>(घ) जले मीटर (निम्नदाब)</td><td colspan="2">'ए' संवर्ग के शहर 8 (आठ) घंटे
नगरीय क्षेत्रों में 12 (बारह) घंटे
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 (दो) दिवस</td></tr>
<tr><td>(ड.) भूमिगत केबल में ब्रेक डाऊन</td><td colspan="2">'ए' संवर्ग के शहर 12 (बारह) घंटे
नगरीय क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 (दो) दिवस</td></tr>
<tr><td>2. सप्लाई की गुणवत्ता</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(क) घोषित वोल्टेज की तुलना में निर्दिष्ट सीमा में वोल्टेज को मेन्टेन करना</td><td colspan="2">2 (दो) दिवस यदि उल्लंघन ट्रांसफार्मर में पाए गए स्थानीय त्रुटि के कारण है।
10 (दस) दिवस जहां–जहां नेटवर्क में विस्तार/उन्नयन आवश्यक नहीं
120 (एक सौ बीस) दिवस जहां वितरण प्रणाली में अपग्रेडेशन आवश्यक है।
सब–स्टेशन की आवश्यकता की स्थिति में 1 (एक) वर्ष</td><td>प्रत्येक दिवस के उल्लंघन के लिये ₹10/–</td></tr>
</table>

3. मीटर		
(क) त्रुटिपूर्ण/बिना कार्यरत (बंद, धीमें एवं तेजी से चलने) वाले मीटर संबंधी उपभोक्ता शिकायत प्राप्त होने पर मीटर का निरीक्षण	'ए' संवर्ग के शहर 4 (चार) दिवस नगरीय क्षेत्रों में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 12 (बारह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹10/–
(ख) मीटर के त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर उसे बदलना	आगामी बिल चक्र के भीतर	
(ग) जले मीटर को बदलना	7 दिवस	
4. नए कनेक्शन/अतिरिक्त भार हेतु आवेदन		
4.1 कृषि को छोड़कर निम्नदाब कनेक्शन (क) सामान्य घरेलु कनेक्शन (जहां विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में अतिरिक्त/क्षमता उन्नयन/अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है।)	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 8 (आठ) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 14 (चौदह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹50/–
ख) ऊपर 'क' को छोड़कर (i) जहां विद्युमान नेटवर्क से जारी किया जा सकता है।	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 15 (पंद्रह) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 30 (तीस) दिवस (पेमेन्ट अवधि को छोड़कर)	
ii) जहां पॉवर सप्लाई हेतु डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन सहित डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में विस्तार आवश्यक है।	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 90 (नब्बे) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 120 (एक सौ बीस) दिवस (पेमेन्ट अवधि को छोड़कर)	
4.2 निम्नदाब कृषि कनेक्शन		
i) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहँच उपलब्ध हो के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 90 दिवस में	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹50/–
ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहँच उपलब्ध नहीं हो के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 180 दिवस में	

4.3 उच्चदाब (एच.टी.) कनेक्शन		
(क) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त फिजिबिलिटी की संसूचना	15 (पंद्रह) कार्य दिवस	
(ख) आकलित शुल्क के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करना	30 (तीस) दिवस	
(ग) भुगतान एवं एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त कार्य की पूर्णता के लिए समय	90 (नब्बे) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹100/–
(घ) (i) लाइसेंसी द्वारा मीटर एवं मीटर उपस्कर की स्थापना कार्य की पूर्णता उपरान्त तीन माह का नोटिस जारी करना	7 (सात) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹100/–
(ii) लाइसेंसी द्वारा विस्तार कार्य पूर्णता उपरान्त भार की विमुक्ति तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति हेतु आवेदन जमा करना	7 (सात) दिवस	
5. भार में कमी	आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹ 100/–
6. बिल भुगतान न होने की स्थिति में काटे गये कनेक्शन का पुनः जोड़ा जाना (उपभोक्ता द्वारा समस्त देय राशि के भुगतान उपरांत)	शहर–8 (आठ) घण्टे नगरीय क्षेत्रों में–24 (चौबीस) घण्टे ग्रामीण क्षेत्र–2 (दो) दिवस उपभोक्ता द्वारा देय राशि के भुगतान से।	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹ 100/–
7. स्वामित्व का अन्तरण एवं सेवाओं में परिवर्तन	**स्वामित्व**	
(क) स्वामित्व का अन्तरण	आवेदन की स्वीकृति तथा नये आवेदक द्वारा सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त दो बिल चक्र के भीतर	
(ख) उपभोक्ता सेवा में परिवर्तन	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक भुगतान, यदि आवश्यक हो के भुगतान उपरान्त आगामी बिल चक्र के पूर्व	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹ 50/–
(ग) निम्नदाब से उच्चदाब तथा उच्चदाब से निम्नदाब संवर्ग में परिवर्तन	तलिका 'क' के अनुसार	

8. उपभोक्ता की शिकायत		
(क) बिल की अप्राप्ती	शिकायत के पंजीकरण की तारीख से 3 (तीन) दिवस के अन्दर	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹10/–
(ख) बिल भुगतान हेतु अपर्याप्त समय	बिल भुगतान हेतु निर्धारीत अन्तिम तारीख में 2 (दो) दिवस की समयावृद्धि	
(ग) बिलिंग संबंधी शिकायत	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹10/–
9. उपभोक्ता मीटर के रीडिंग	प्रत्येक माह	प्रथम माह हेतु ₹100/– प्रथम माह उपरान्त प्रत्येक माह के विलंब हेतु ₹200/–
10. उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त डिपॉजीट की वापसी	60 दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹50/–
11. विश्वसनीयता हेतु सूचकांक को सीमा में मेन्टेन करने हेतु		
(SAIFI) किसी एक फीडर से प्रतिमाह बिजली की रूकावट (प्रत्येक रूकावट 5 मिनट से अधिक) की स्वीकार्य रूकावट से अधिक संख्या पर प्रति उपभोक्ता देय मुआवजा।	'ए' संवर्ग के शहर में प्रति उपभोक्ता 15 व्यवधान नगरीय क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता 30 व्यवधान ग्रामीण क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता 35 व्यवधान	प्रत्येक उल्लंघन हेतु ₹60/– प्रति उपभोक्ता के मान से
(SAIDI) एक फीडर से प्रति माह बिजली रूकावट (प्रत्येक रूकावट 5 मिनट से अधिक) की स्वीकार्य अवधि से अधिक पर प्रति उपभोक्ता देय मुआवजा।	'ए' संवर्ग के शहर में 6 घंटे प्रति माह (360 मिनट/30) नगरीय क्षेत्र में 15 घंटे प्रति माह (900 मिनट/30) ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे प्रतिमाह (1200 मिनट/30)	प्रत्येक घंटे के व्यवधान हेतु ₹5/– प्रति उपभोक्ता के मान से